संख्या-8/18/1/2008/का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 22 जुलाई, 2014

विषय:- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर पदोन्नति के प्रक्रम पर समूह-'ग' एवं 'घ' के पदों पर विकलांगजन को अनुमन्य आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनॉक 03-02-2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक के प्रस्तर-1(।।) में विकलांगजन को पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में प्राविधान निम्नवत है:-

''समूह-'घ' और 'ग' के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियॉ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियॉ (।) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (।।) श्रवणह्रास और (।।।) चलनक्रिया संबंधी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होगी।''

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2608/2011 में दिनॉक 27-04-2012 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-4/1/2002-का-2/2012 दिनॉक 08-05-2012 के माध्यम से पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति को अनुमन्य आरक्षण प्राविधान को समाप्त कर दिये जाने से कतिपय विभागों में भ्रम की यह स्थिति बनी है कि विकलांगजन को पदोन्नति में अनुमन्य आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक के प्रस्तर-1(।।) में प्राविधानित व्यवस्था वर्तमान में पूर्ववत प्रभावी है।

4- कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/18/1/2008(1)/का-2/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in